

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी नाथ विपक्षी कुसुलाल

किस्म मुकद्दमा वाद पत्रावली संख्या 171/17 (वा.प.) सन्

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|-----------------|---|
|---------|-----------------|---|

19/07/24 पत्रावली पेश हुई। अति. पस. 340।
अति. वादी द्वारा मि वेदन किया गया कि
उ.सं.1 फौत हो चुका है वसाली उपखण्ड
में इसकी विवाद कोर्ट कार्यवाही नहीं
चाहता है कि अति. वादी से स्वयं ही
उ.सं.1 फौत के विवाद कोर्ट कार्यवाही नहीं
चाहते हैं वैसे में उ.सं.1 के विवाद
उपखण्ड में कार्यवाही जारी रखने का कोर्ट
आदेश नहीं है अतः उ.सं.1 के विवाद
कार्यवाही शेष की जाती है पत्रावली
वास्तव लक्ष्य उा. पस 09R7 पर दिनांक
15/10/24 को पेश है।

उ.सं.1 फौत
हो चुका है
इसके विवाद
कोर्ट कार्यवाही
नहीं चाहता है
Santosh

15/10/24
आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली
ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....
19/11/24 को पेश हो।

D/O
S

19/11/24 कुसुलाय वादी/प्रतिवादी उप... लक्ष्य उा. पस 09R7 CPC
के लिये मौका चाहते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/12/24
को पेश हो।

(SDD) मावली

23/12/24 पत्रावली पेश हुई। अति. उ.सं. पस
उप. वादी फौत होना जाहिर किया जायिये सचत।
वादी अधिवक्ता। अति. वादी वारिस कायमी करावे।
पत्रावली वास्तव वारिस कायमी दिनांक 27/02/25
को पेश हो।

वादी 1 फौत



S

27/2/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिय कायमी
के लिये मौका चाहते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 15/5/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

15/5/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिय कायमी
के लिये मौका चाहते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 17/7/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

17/7/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वारिय कायमी
के लिये मौका चाहते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 18/8/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

18/8/25
पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय पक्ष उप.
अधि. वारी डा. वारिय कायमी का अवसर
पाटा। अतिरिक्त अवसर अतः वंद कि शर्त
पर दिया जाकर अधिवक्ता वारी को दगाए
किया जाता है कि आवश्यक रूप से वारिय
कायमी करावे पत्रावली वारन्त वारिय कायमी
दिनांक 9/9/25 को पेश हो।

09/9/25
पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी अनुपस्थित।
अधिवक्ता वादी मथ वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई
गई। समय सांय 6:00 PM हो चुके हैं। अधि. वादी
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी अनुपस्थित
रहने पर वादी का वाद अदम. पेंची में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय हुताया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली